

**॥ कार्यालय :- प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी ॥**

वन परिसर, कण्डोलिया, पौड़ी गढ़वाल, फोन/फैक्स 01368-222303 mail id - dfosspauri@yahoo.com

पत्रांक :- 74 / 12-1 , पौड़ी, दिनांक, जुलाई 19 , 2018.

सेवा में,

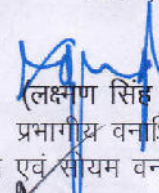
अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
श्रीनगर गढ़वाल।**विषय:-** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड खिसू में गवाणा मोटर मार्ग के कि. मी० 04.00 से सुराड गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.250 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**सन्दर्भ:-** आपकी पत्र संख्या-1018/28 सी० दिनांक 18-07-2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु की पत्र संख्या 8B/UCP/06/41/2015/FC/1559 दिनांक 02-01-2017 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलानी उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 675/FP/UK/ROAD/17797/2014 दिनांक 24-08-2017 के क्रम में क्षतिपूर्ति की वर्तमान संशोधित दरों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों तक रख-रखाव की धनराशि एवं एन०पी०वी० की धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है :-

- 1 :- क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि - 2.250 x 2 = 4.50 ha
 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की दर प्रति है० - 2,78,665.00
 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु धनराशि - 4.50 x 278665 = 1253993.00
 (रु० बारह लाख तिरपन हजार नौ तिराने)
- 2 :- एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-
 ईको क्लास - V
 हरियाली का घनत्व - 0.3
 एन०पी०वी० की दर प्रति है० - ₹ 6,57,000.00
 आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 2.25 X 657000 = 1478250.00
 (चौदह लाख अठत्तर हजार दो सौ पचास)

भवदीय,


 (लक्ष्मण सिंह रावत)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।
पत्रांक: / दिनांकित।**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1 :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलानी उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2 :- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

 (लक्ष्मण सिंह रावत)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।